न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 54/2017

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1 हरिसिंह पुत्र छत्रसिंह
2 रामसिंह पुत्र छत्रसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज0।

अप्रार्थीगण

1 मोहनसिंह पुत्र भीवसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज0
2 बाबुसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज0
3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री मो0 शरीफ घोसी एवं श्री अर्जूनसिंह राजपुरोहित अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 32/2019

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1 मोहनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज0

अप्रार्थीगण

1 हरिसिंह पुत्र छत्रसिंह
2 रामसिंह पुत्र छत्रसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज0।
3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

<u>प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2019 अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी बाबत् संशोधन करने</u>
<u>आदेश (निर्णय) दिनांक 12.06.2019</u>

1. श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

–: संशोधित निर्णय :– दिनांकः 02.07.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 130, 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चाडवास पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 459 रकबा 1.0700 है0 स्थित है। राजस्व रेकर्ड जमावंदी सम्वत् 2071–74 के अनुसार खसरा संख्या 459 रकवा 2.1400 है0 कृषि भूमि थी, जो प्रार्थीगण के पिता स्व0 छातरसिह एवं अप्रार्थी मोहनसिंह के संयुक्त 1/2–1/2 हक हिस्से की खातेदारी की थी। प्रार्थीगण के पिता स्व0 छतरसिंह एवं अप्रार्थी मोहनसिंह ने उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 22.07.2015 को भूमिधारक तहसीलदार के समक्ष पेश किया और आपसी सहमति के आधार पर भूमिधारक तहसीलदार सोजत द्वारा बंटवाड़ा करते हुए उक्त खसरा नम्बर 459 रकबा 1.0700 है0 प्रार्थीगण के पिता छातरसिह के बंट में रखा तथा खसरा नमबर 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर प्रतिवादी मोहनसिंह के बंट में रखा और उक्त बंटवाड़ा के आधार जरिये म्यूटेशन संख्या 785 दिनांकित 11.08.2015 के तहत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया एवं माफिक बंटवाड़ा अनुसार तरमीम कर दी गई है। माफिक बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 459 रकवा 1.0700 है0 प्रार्थीगण के पिता स्व0 छतरसिह की खातेदारी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता स्व0 छतरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2016 को होने के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 856 दिनांकित 23.01.2017 के तहत प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 459 रकवा 1.0700 हैक्टर कृषि भूमि के प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस में अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 नाजायज तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से पूर्व में की गई धोरापाली व माठों को लेकर प्रार्थीगण के साथ दखल अन्दाजी करना शुरू कर दिया हैं। प्रार्थीगण को काश्त करने से रोका और माठ व सीमा को लेकर विवाद किया और अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र डीवाईएसपी है जो पुलिस का डर दिखाते हुए प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने नहीं देते है और सीमा व माठ को लेकर विवाद करते रहते है व दबाब बनाते है और कृषि कार्य करने से वंचित कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 25.04.2017 को जबरदस्ती नाजायज तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए जे0सी0बी0 से धोरा लगाना शुरू कर दिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवा कर धोरा लगाने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आते हुए जबरदस्ती प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से धोरा लगाने की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

ऐलानिया धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण के बीच पूर्व में हुए बंटवाड़े के माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम अनुसार मौके पर नाप चौप नहीं होने से हमेशा धोरापाली व माठों को लेकर विवाद होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते रहते है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार की कोई फसल लगी हुई नही है। तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 25.04.2017 को उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कृषि भमि का सीमांकन करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण को धमकिया दी कि जबरदस्ती पूरा धोरा लगा कर कृषि भूमि को हड़प कर लेगा। राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम अनुसार पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 के बीच कृषि भूमि की सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि का सीमांकन पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी के द्वारा पैमाईश करवाने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिए प्रार्थीगण के पास प्रा0 पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नही रहा। इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवा कर पत्थरगढी/मुटाम लगवाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी संख्या 3 को बावजूद तामिली/सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश करने का दिनांक 16.05.2018 से लगातार समय चाहते है, समय दिया जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री शरीफ घोसी ने वकालतनामा दिनांक 13.02.2019 को पेश किया सा0मिसल हो। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा व जबाब पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया जाता है व जबाब व वकालतनामा का अवसर बन्द किया गया।

दिनांक 20.05.2019 को अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् सीमांकन व पत्थरगढी बाबत् पेश किया, कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 459/1 रकबा 1.0700 है0 खसरा नम्बर 764 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.55 है0 खसरा नम्बर 781 रकबा 0.22 है0 स्थित है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 459 रकबा 2.1400 है0 कृषि भूमि थी जो प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता स्व0 छतरसिंह के संयुक्त 1/2-1/2 हक हिस्से की खातेदारी की थी। प्रार्थी के भाई स्व0 छतरसिंह व प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि को आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 22.05.2015 को भूमिधारक तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया और आपसी सहमति के आधार पर भूमिधारक तहसीलदार सोजत द्वारा बंटवाड़ा करते हुए उक्त खसरा नम्बर 459 का बंटवाड़ा होने के पश्चात प्रार्थी के हक में खसरा नम्बर 459/1 रकबा 1.0700 है0 का म्यूटेशन भरा गया तथा बंटवाडे की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रति साथ संलग्न है। इसी प्रकार आपसी सहमति से खसरा नम्बर 764, 765, 766, 767, 779, 780, 781 जो संयुक्त खातेदारी में था जिसे बाद बंटवाड़ा सहमति के आधार पर प्रार्थी हक व हिस्से में खसरा संख्या 764 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 781 रकबा 0.22 है0 स्थित है। जिस पर प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। सहखातेदारों के बीच में दिनांक 29.06.2015 को बंटवाड़ा हो जाने के पश्चात उसके अनुसार नक्शें में तरमीम हो गई तथा उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज है उसी अनुसार मौके मुटाव लगाकर सीमांकन व पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के मौके मुटाम लगवाये जाकर सीमांकन व पत्थरगढी करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाव प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की ओर से पृथक प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 पेश किया है, में अधिवक्ता अर्जूनसिंह राजपूरोहित व शरीफ घोसी तथा सुरेन्द्र वैष्णव उपस्थित आए है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 से सम्बद्ध मौजा चाडवास की अपनी खसरा नम्बर 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाये जाने तथा मुटाम मौके पर लगवाई जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जवाब बहस में प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 पेश किया, से सम्बद्ध मौजा चाडवास की ही पास स्थित ख0न0 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 की भूमि का सीमांकन भी करके मौके पर मुटाम लगवाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

दिनांक 12.06.2019 को पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर प्रस्तुत पूर्ववर्ती प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह तथा पश्चातवर्ती प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू0 राज0 अधिनियम 1956 का गहनतापूर्वक अध्ययन करने पर पाया गया कि मूल ख0न0 459 के बंटवाड़ा करने से ख0न0 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 तथा इसी ख0न0 के नये ख0न0 459/1 रकबा 1.0700 है0 बा0अ0 की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज सुदा है। लिहाजा एक समान पक्षकार, भूमि, विषय वस्तु व ईश्तदुआ होने से प्रस्तुत पूर्ववर्ती प्रा0 संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह के साथ पश्चातवर्ती प्रा0 पत्र 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 11, 128 भू0 राज0 अधिनियम 1956 (suo moto) संकलित/समेकित (consolidated) किया गया। प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा इन प्रा0 पत्रों की विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा चाडवास में स्थित ख0न0 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 तथा ख0न0 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 भूमि का उभय पक्षों को पृथक पृथक सीमा ज्ञान करवाया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पूर्ववर्ती प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह तथा पश्चातवर्ती प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया गया। सरहद मौजा चाडवास तहसील सोजत में स्थित ख0न0 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 बा0अ0 तथा 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 भूमि का मौके पर सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात् मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। उक्त निर्णय की मूल प्रति पत्रावली संख्या 54/17 में पत्रावित की जाकर प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 32/2019 में भी नत्थी की गई तथा तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 02.07.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का पेश किया कि उपरोक्त अनवान व प्रकरण 32/2019 प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को खसरा संख्या 459/1 व 459 की पत्थरगढी व सीमांकन का आदेश दिया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में ही विवादित खसरा संख्या 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 765 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा संख्या 781 रकबा 0.2200 हैक्टर का उल्लेख कर दिया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश मय पुलिस इमदाद के तहसीलदार सोजत को आदेश करने हेतु निवेदन किया था, परन्तु श्रीमान द्वारा दिनांक 12.06.2019 को दिये गये आदेश में विवादित खसरा संख्या 764 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 765 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा संख्या 781 रकबा 0.2200 हैक्टर का उल्लेख करना टंकन की त्रुटि से शेष रह गया था। इस प्रकार प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी बाबत् संशोधन करने आदेश दिनांक 12.06.2019 हेतु पेश कर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2019 को दिये गए आदेश में संशोधन करते हुए खसरा संख्या 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर के साथ खसरा नम्बर 764 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 765 रकबा 0.5500 हैक्टर, तथा खसरा संख्या 781 रकबा 0.2200 हैक्टर जोड़ा जाकर उक्त खसराजात की भूमि का पत्थरगढी एवं सीमांकन का संशोधित आदेश प्रदान करने की ईशतदुआ की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण मोहनसिंह पुनः सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 से सम्बद्ध मौजा चाडवास की अपनी खसरा नम्बर 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाये जाने तथा मुटाम मौके पर लगवाई जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 पेश किया के प्रकरण में दिनांक 02.07.2019 को धारा 152 सीपीसी का पेश किया है, से सम्बद्ध मौजा चाडवास की ही पास स्थित खसरा संख्या 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर के साथ स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 765 रकबा 0.5500 हैक्टर, तथा खसरा संख्या 781 रकबा 0.2200 हैक्टर की भूमि का सीमांकन भी करके मौके पर मुटाम लगवाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पूर्ववर्ती प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह तथा पश्चातवर्ती प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू0 राज0 अधिनियम 1956 तथा प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी दिनांक 02.07.2019 एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी मोहनसिंह पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह तथा पश्चातवर्ती प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू0 राज0 अधिनियम 1956 तथा प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 में दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा इन प्रार्थना पत्रों की विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा चाडवास में स्थित ख0न0 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 तथा ख0न0 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 के साथ-साथ प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 प्रार्थी मोहनसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 764 रकवा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 765 रकबा 0.5500 हैक्टर, तथा खसरा संख्या 781 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म चा0दो0 व जा0दो0 भूमि का उभय पक्षों/पक्षकार को पृथक पृथक सीमा ज्ञान करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा ततपश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने तथा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त कर पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–:संशोधित आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती प्रा0 पत्र संख्या 54/2017 हरिसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह तथा पश्चातवर्ती प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 मोहनसिंह बनाम हरिसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू0 राज0 अधिनियम 1956 तथा प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 में दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा इन प्रार्थना पत्रों की विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा चाडवास में स्थित ख0न0 459 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 तथा ख0न0 459/1 रकबा 1.0700 हैक्टर बा0अ0 के

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

साथ–साथ प्रा0 पत्र संख्या 32/2019 के प्रार्थी मोहनसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 765 रकबा 0.5500 हैक्टर, तथा खसरा संख्या 781 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म चा0दो0 व जा0दो0 भूमि का उभय पक्षों/पक्षकार को पृथक पृथक सीमा ज्ञान करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने तथा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त कर पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त संशोधित निर्णय की मूल प्रति पत्रावली संख्या 54/17 में पत्रावित की जाकर प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 32/2019 में भी नत्थी की जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

संशोधित निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को सरे ईजलास पृथक से लिखेकाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned by CamScanner